मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ४६६/२०१६,
१. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व. गोटीराम उम्र ६५ वर्ष
२. नारायण दास यादव पुत्र स्व. गोटीराम उम्र ४५ वर्ष

------याचीगण

प्रति

१. दीपेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह यादव नि. ४२९/३५ डड़ियापुरा, झाँसी
.............मालिक वाहन ट्रक सं. यू.पी.९३ ए टी ५५१७
२. मुख्य प्रबन्धक चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड शाहनजफ रोड, लखनऊ, उ.प्र.
.............बीमा कम्पनी वाहन ट्रक सं. यू.पी.९३ ए टी ५५१७
३. रविन्द्र विश्वकर्मा पुत्र वाल किशुन निवासी ५८ चमरयाना, चिरगाँव जिला झाँसी
...........मालिक मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ ए आर ५३५८
४. बीमा कम्पनी का नाम पता ज्ञात होने पर तहरीर किया जायेगा
५. राजेन्द्र कुमार पुत्र किशोरी नि. ग्राम गढ़मऊ जिला झाँसी
...........चालक ट्रक सं. यू.पी.९३ ए टी ५५१७

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री अशोक कुमार अग्रवाल
विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता-श्री सुनील शुक्ला
<u>१९.०२.२०२१</u>

पत्रावली पेश हुयी। याचीगण श्रीमती सुनीता मय विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं.२ मुख्य प्रबन्धक, चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में अपने पति व पिता सुरेन्द्र की मृत्यु के कारण ₹ १८,३०,००० प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। याचीगण एवं विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी की ओर से ३८बी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जो आज उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ३८बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ३८बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। ३८बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹७,००,०००** याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा ३८बी में दर्शित कुल **₹७,००,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ३८बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा ३८बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३८बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.२ मुख्य प्रबन्धक, चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹ ७,००,०००(सात लाख)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.सी. सं. PUNB०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं.१ श्रीमती शान्ति देवी ७० प्रतिशत भाग तथा याची सं.२ नारायण दास ३० प्रतिशत भाग प्राप्त करेगा। याचीगण को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची के नाम ७५-७५ प्रतिशत भाग की ३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जावेगी तथा प्रत्येक याची की शेष २५-२५ प्रतिशत भाग याचीगण अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेंगे।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.02.19 15:05:42 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi